>

Title: Reported incidents of issuance of pilot licence on the basis of fake documents.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दे की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इंडिगो एयरलाइन्स का एक पायलट फर्जी दस्तावेज के कारण पकड़ा गया। इसके बाद स्पाइस जेट एयरलाइन्स के और दो पायलट फर्जी दस्तावेज के कारण पकड़े गए। इस तरह से छः पायलट पकड़े गए जिनके पास फर्जी दस्तावेज थे। यह बहुत गंभीर विषय है। यह हवाई यात्रा की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा विषय है। देश में हवाई उड़ान का प्रशिक्षण देने वाली कई संस्थाएं हैं। मैं अभी एक स्टेटमेंट डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन, डीजीसीए का पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा छः पायलट के लाइसेंस फर्जी पाए गए इसलिए 10,000 कमर्शियल लाइसेंसधारी पायलटों की जांच के आदेश दे रहे हैं। मैं अखबार में एक और स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इस देश में 40 फ्लाइंग स्कूल हैं, उनका थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑडिट कराएंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा पायलटों की ट्रेनिंग में आया, फर्जी दस्तावेज प्राप्त कर लिए, अंक तालिकाएं भी गड़बड़ निकली, क्या इसमें डीजीसीए की कोई भूमिका नहीं थी? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इस ट्रेनिंग को बहुत गंभीरता से लेता है तो विमान का प्रशिक्षण देने वाली जो संस्थाएं देश और विदेश में हैं, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई? यह मामला जानकारी में आए हुए 15 दिन हो गए हैं और अभी तक छः पायलट गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान का एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। सिर्फ पायलटों को गिरफ्तार करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। डीजीसीए के अधिकारी और विमान का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं जो देश और विदेश में हैं, इनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जालसाजी करके इन दोनों पायलटों ने क्या किया कि निर्धारित उड़ान पूरी नहीं करने के बावजूद भी अधिक समय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। कितना बड़ा काम और कितना बड़ा धोखा हो गया फिर भी डीजीसीए कह रहा है कि हम जांच कराएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे अधिकारी कितना ही बड़ा आदमी हो, कितनी ही बड़ी संस्था हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यात्री सुरक्षित हवाई यात्रा कर सकें। धन्यवाद।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मामले के साथ

श्री ए.टी. नाना पाटील को संबद्ध किया जाता है।